कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 2062 /अलीगढ़ / 14131 / 2015,**अलीगढः दिनांकः जनवरी,** 09 – **,2021**

सेवामें,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
ए–5, सेक्टर–3, नोएडा।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0– 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।**

संदर्भः– अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक पी–99 / 81–2–2020–800(108) / 2020 दिनांक 05.11.2020, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1094 / 11–सी–अलीगढ़ / 14131 / 2015 दि0 06.11.2020

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन अपेक्षित है।

1. विषयगत प्रस्ताव वर्ष 2015 में प्रस्तावित है, उल्लंघन कब किया गया है ? भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु–3 बी के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना लक्षित नहीं होता है ?

2. प्रस्ताव के पृष्ठ–31 पर रक्षित प्रमाण पत्र (उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड की अनापत्ति) दिनांक 31–03–2020 को समाप्त हो गया है, जिसे अद्यतन अपेक्षित है।

09/01/21

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2062 / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/01/21

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

C:\Users\dfo\Downloads\Objection.doc